



2026:AHC: 184487

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5216 वर्ष 2026

मो. आशिक

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 87

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

- पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, सहारनपुर (जिसे इसके पश्चात विचारण न्यायालय कहा गया है) द्वारा सत्र विचारण संख्या 2375 वर्ष 2025 राज्य बनाम आरिफ और अन्य में थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर के बीएनएस की धारा 85, 80(2) और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 96 वर्ष 2025 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2026 पर प्रहार करते हुए दाखिल किया गया है, जिसमें विचारण न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संक्षेप में बीएनएसएस जो दंड प्रक्रिया संहिता संक्षेप में द.प्र.सं. की धारा 319 के समरूप है, के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया है।
- उस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण इस आधार पर दाखिल किया गया है कि आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार की स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है, जो अभिलेख के पटल पर ही प्रकट होती है और इस प्रकार आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। यह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नैसर्गिक न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है अतः इसे अपास्त करने और वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आक्षेपित आदेश के प्रस्तर 4 का संदर्भ देते हुए आपत्ति उठाई जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"4-पत्रावली का गहनता से परीशीलन किया गया। पी०डब्लू० 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा के पेज संख्या 4 पर बयान दिया है कि मेरी बेटी की हत्या उसके पति, सास, ननंद अंजुम व उसका पति अप्फान व इमरान व मेहराज उर्फ माही ने आपस में मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने के कारण तथा अन्य उपरोक्त कारणों से मेहराज उर्फ माही से शादी करने के चक्कर में की है। मेहराज उर्फ माही जो अभियुक्त आरिफ के सगे मामा की लड़की है, वह यदि अभियुक्त आरिफ से शादी करना चाहती तो उससे दहेज की मांग करने का कोई अर्थ नहीं है और न ही दहेज के लिये हत्या कारित करने का। पी०डब्लू० 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त आरिफ ने सब को इकट्ठा कर मेहराज उर्फ माही से शादी करने की बात बतायी और सभी लोग मिलकर वादी की पुत्री को रास्ते से हटाने का काम करो और मेहराज उससे शादी करना चाहती है और उस कारण हत्या करने का अभिकथन किया है। यदि यह बात सत्य होती तो हत्या करने की बजाय अभियुक्त वादी की पुत्री को तलाक भी देकर अपने मामा की लड़की से शादी कर सकता था। अतः शादी करने के उद्देश्य से हत्या करना ही कोई आवश्यक नहीं था। अभी केवल वादी का मुख्य परीक्षा ही हुआ है, उससे जिरह होना शेष है। किसी साक्षी के बयान की सत्यता का परीक्षण उसकी जिरह में आये बयान से ही होती है। आपत्ति में अंजुम की शादी अप्फान से लगभग 13 वर्ष पूर्व होना बताया गया है और उसके मामा का लड़का तथा मौसी की लड़की दूर अपने गांव में रहना बताया गया है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में प्रस्तावित अभियुक्तगण श्रीमति अंजुम, अप्फान, कु० मेहराज उर्फ माही व इमरान द्वारा दहेज की मांग करना और उसके लिये हत्या कारित करना या शादी के लिये हत्या कारित करना इस स्तर पर संयुक्त विचारण के लिये तलब किये जाने हेतु पर्याप्त रूप से साबित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 358 बी०एन०एस०एस०/319 दं०प्र०सं० कागज संख्या

7 ख खारिज किये जाने योग्य है।"

5. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, पूर्वोक्त आदेश के पैराग्राफ 4 के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणवादी दूसरी लड़की से विवाह करने का इच्छुक था जिससे कि उसने बाधा, पुनरीक्षणवादी की पुत्री को हटा दिया। यदि कोई पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का इच्छुक है तो ऐसा पति दहेज की मांग नहीं कर सकता है। अभियोजन का पक्ष ही दहेज की मांग और उसके अनुसरण में पुनरीक्षणवादी की पुत्री के उत्पीड़न को ध्वस्त कर देता है। उपरोक्त के दृष्टिगत विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणवादी द्वारा दाखिल बीएनएसएस की धारा 358 के अंतर्गत आवेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया है। आक्षेपित आदेश किसी ऐसी अवैधता, दुर्बलता या तात्त्विक अनियमितता से ग्रस्त नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता हो। जब बीएनएसएस की धारा 358 के अंतर्गत कोई आवेदन दाखिल किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को उसे स्वीकार या खारिज करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार होता है। वर्तमान वाद में, विद्वान विचारण न्यायालय ने, अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के पश्चात, अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया और दोनों विकल्पों में से एक को चुना, इसलिए आक्षेपित आदेश में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। उपरोक्त के दृष्टिगत यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण ग्रहण स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

6. उपरोक्त से सामना कराए जाने पर, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता इसका समाधान नहीं कर सके।

7. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने और पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, हम वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में हस्तक्षेप करने या मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं।

8. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण ग्रहण स्तर पर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

आरती

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”